(1)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम	
	मु॰ नं॰ 125/16 तारीख रजू 8/11/16	
	उनवान - रूमाली बनाम तहसीलदार जैसनी	
	दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा	
	वादी की ओर से सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथ पत्र व वाद पत्र का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब कर दिनांक 7-12-16 को पेश हो।	3479-80 / 8-11-16
	उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	
7-12-16	वादी वकील उप॰/ प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार हाजिर उप॰/ वास्ते जवाब दिनांक 16-1-17 को पेश हो।	
16/1/17	वादी वकील व सरकार पैरोकार उपस्थित। जवाब पेश किया। जवाब की नकल दिलाई गयी। आइन्दा दि॰ 27.2.17 को पेश हो।	
27-2-17	वादी वकील उपस्थित / गलनुसार दिनांक 23-3-17 को पेश हो।	शिवराम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी[illegible]

दिनांक	फर्द अहकाम
23.3.17	वकुलाय उप०/ तनकीयात स्पष्ट की गई/ वास्ते वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 18.4.17 को पेश हो।
18.4.17	वकुलाय उप०/ वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 17.5.17 को पेश हो।
17.5.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मांचडी में दिनांक 13.6.17 को पेश हो।
13.6.17 शिवराम	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मांचडी में पेश हुई। वादी नं. 2 शिवराम उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा बावत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से प्रस्तुत किया है कि ग्राम जैसनी की भूमि ख.नं. 1138 रकबा 25.33 हे० किस्म-चारागाह दर्ज है। इसके साबिक खसरा नम्बर 696 से 709 हैं। साबिक खसरा नं. 705 रकबा 43 बीघा 19 बिस्वा मे से वादीगण के पिता, पति, बाबा, ससुर परभाती पुत्र सिल्ली को ख.नं. 705/2 रकबा 5 बीघा बारानी आवंटित की थी, आवंटन के आधार पर नामा. संख्या 141 दिनांक 2.2.1976 को तस्दीक हो गया जमाबंदी

संवत् 2029-2032 में नोट भी अंकित होगया। वादीगण उक्त भूमि पर काबिज एवं दखील है। रेवन्यू कर्मचारियों की भूल से जमाबंदी सं. 2029-32 में लगानोट हजफ कर उक्त आराजी ख.नं. 705 को वापिस चारागाह दर्ज कर दिया। उक्त भूमि पर वादीगण काबिज एवं दखील है। अतः वादीगण का दावा डिक्री कर खातेदारी दर्ज कराकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाज न करें।

प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार ने जबाबदावा प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 705/2 रकबा 5 बीघा भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने, आंवटन की शर्तो की पालना नहीं करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम (कृषि हेतु भूमि आंवटन नियम 1970) के नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त हो चुका है। ग्राम जैसनी की जमाबंदी संवत 2033-2036 के खाता संख्या 156 पर आंवटन निरस्त होने का नोट अंकित है। भूमि की किस्म चारागाह दर्ज है। वादीगण का दावा खारिज किया जावे।

वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिकार्ड यह भूमि आंवटन नियमों के अन्तर्गत शर्तो के उल्लंघन कब्जा के अभाव में आंवटन निरस्त होकर भूमि ख.नं. साबिक 705/2 रकबा 5 बीघा वापिस चारागाह दर्ज किया जाना रिकार्ड से

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
	प्रमाणित है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात तथा साक्ष्य रूप से निस्तारण करने के लिए अनिर्णित रखना उचित नहीं समझता हूं। यह प्रकरण निरस्तगी आदेश की अपील की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।
	अतः यह दावा वादीगण बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय आज दिनांक 13.6.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय कैम्प मांचडी में सुनाया गया।
	(जगदीश आर्य)

Scanned by CamScanner